इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014-श्रावण 17, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधि. क्र. 24 एफ-1-20-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूचियों में यथा उल्लिखित क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद्, मैहर, जिला सतना की सीमाओं में सिम्मिलित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक

नगर पालिक परिषद्, मैहर की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :--

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले	घोषित किए जाने वाला	क्षेत्र की
				हल्का नम्बर	क्षेत्र (हेक्टर में)	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सतना	मैहर	मानपुर	46	502.937	सम्पूर्ण ग्राम
2	सतना	मैहर	उमरी पैला	49	290.419	सम्पूर्ण ग्राम
3	सतना	मैहर	वैला खास (ओइला)	47	90.190	सम्पूर्ण ग्राम
4	सतना	मैहर	परसोखा	49	244.824	सम्पूर्ण ग्राम
5	सतना	मैहर	लखनपुर	49	99.762	सम्पूर्ण ग्राम
6	सतना	मैहर	लखवार	50	135.364	सम्पूर्ण ग्राम
7	सतना	मैहर	अमिलिया	54	130.837	सम्पूर्ण ग्राम
8	सतना	मैहर	गिरगिटा	54	262.279	सम्पूर्ण ग्राम
9	सतना	मैहर	तिघराकला	50	215.598	सम्पूर्ण ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	सतना	मैहर	कटियाकला	50	205.631	सम्पूर्ण ग्राम
11	सतना	मैहर	हरनामपुर	51	310.909	सम्पूर्ण ग्राम
12	सतना	मैहर	हरदुआ	42	150,000	सम्पूर्ण ग्राम
13	सतना	मैहर	अमङ्ग	40	81.551	सम्पूर्ण ग्राम
14	सतना	मैहर	अटेहरा	42	134.817	सम्पूर्ण ग्राम
15	सतना	मैहर	उदयपुर	41	243.917	सम्पूर्ण ग्राम
16	सतना	मैहर	कोलहाई	44	726.394	सम्पूर्ण ग्राम
17	सतना	मैहर	अरकण्डी	44	663.592	सम्पूर्ण ग्राम
					,	

नोट: —नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका के अन्दर के 17 ग्रामों की वर्तमान सीमा में वृद्धि प्रस्तावित करती है जो रेखांकित की गई है. ग्राम अरकण्डी तथा ग्राम कोलाहाई जिसका कुल क्षेत्र 663.592 हेक्टर तथा 726.394 हेक्टर, कुल 1389.986 हेक्टर है, ग्राम पंचायत अरकण्डी का सम्पूर्ण क्षेत्र है. जिसमें से विभाग की अधिसूचना दिनांक 24-5-1999, मध्यप्रदेश माँ मैहर शारदा देवी मेला अधिनियम, 1998 (क्रमांक 15 सन् 1998) तथा मध्यप्रदेश माँ शारदा देवी मंदिर अधिनियम, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2003) के अनुसार कोलहाई का 48.643 हेक्टर क्षेत्र तथा अरकण्डी का 264.029 हेक्टर कुल 312.672 हेक्टर क्षेत्र माँ शारदा देवी प्रबंध समिति, मैहर के अनुसार अधिसूचित है तथा यह माँ शारदा देवी प्रबंध समिति द्वारा शासित, धारित और प्रबंधित की जाएगी.

अरकण्डी ग्राम पंचायत के ऊपर दर्शित भाग का 312.672 हेक्टर क्षेत्र थी, जो माँ शारदा प्रबंध समिति, मैहर के अधीन शासित, धारित तथा उसकी देखरेख में है, नगरपालिका, मैहर की स्थानीय सीमा के साथ इस शर्त के साथ निमञ्जित होगा कि इस क्षेत्र का शासन और प्रबंध माँ शारदा प्रबंध समिति, मैहर द्वारा किया जाएगा. इस क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के नियम तथा उपबंध अकृत और शून्य होंगे. इस क्षेत्र का शासन व प्रबंध केवल माँ शारदा देवी अधिनियम के अनुसार होगा और इस क्षेत्र के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. किसी अन्य विकास और क्रियाकलाप के लिए, यदि कोई हो, नगर पालिक निगम, मैहर माँ शारदा प्रबंध समिति, मैहर से पूर्व अनुज्ञा/ अनुमोदन प्राप्त करेगी. किसी विकास तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए निर्णय लेने में माँ शारदा प्रबंध समिति स्वतंत्र होगी. सिमिति द्वारा लिए गए निर्णय नगरपालिका अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे.

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची-एक में विहित क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिका परिषद्, मैहर, जिला सतना की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार होगी:—

उत्तर—ग्राम मानपुर, उमरी पैला, वेला खास (ओईला) का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम वैला खास में स्थित लिलजी नदी सहित.

पूर्व—ग्राम वेला खास (ओईला) लखनपुर, लखवार, अमिलिया एवं गिरगिटा ग्राम की पूर्वी सीमा से लगा ग्राम परसोखा का सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र.

दक्षिण—ग्राम गिरगिटा जो ग्राम हरनामपुर, हरदुआ कला एवं ग्राम अमड़ा से अमड़ा नाला तक के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है.

पश्चिम—ग्राम उदयपुर, ग्राम कोल्हाई और अरकण्डी का सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र जो ग्राम अमड़ा नाला के दक्षिण पूर्व से ग्राम मानपुर के पश्चिम उत्तर तक स्थित है.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्र. एफ-1-20-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24-एफ-1-20-2013-अठारह-3, दिनांक 8 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2014

Noti. No. 24-F 1-20-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as mentioned in Schedules given below within the limits of the Municipal Council, Maihar, District Satna, namely:—

SCHEDULE—I

The areas of the villages included in the limit of Municipal Council, Maihar, District Satna shall be as follows:—

S.No.	District	Tehsil	Names of Village	Halka No. to be included	Area to be declared in Hectare	Limit of area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Satna	Maihar	Manpur	46	502.937	Whole Village
2	Satna	Maihar	Umri Paila	49	290.419	
3	Satna	Maihar	Baila khas (Oila)	47	90.190	11
4	Satna	Maihar	Parsokha	49	244.824	11 GARLESTEEN MARKETON
5	Satna	Maihar	Lakhanpur	49	99.762	11
6	Satna	Maihar	Lakhwar	50	135.364	!'
7	Satna	Maihar	Amiliya	54	130.837	
8	Satna	Maihar	Girgita	54	262.279	#1 ************************************
9	Satna	Maihar	Tighra Kala	50	215.598	11
10	Satna	Maihar	Katiya Kala	50	205.631	***
11	Satna	Maihar	Harnampur	51	310.909	11
12	Satna	Maihar	Hardua	42	150.000	T conditions
13	Satna	Maihar	Amada	40	81.551	AND CALLES AND STREET,
14	Satna	Maihar	Patheara	42	134.817	ST MANAGETTS NAMES OF STREET
15	Satna	Maihar	Udaypur	41	243.917	11
16	Satna	Maihar	Kolhai	44	726.394	!
17	Satna	Maihar	Arkandee	44	663.592	

Note:—Municipal Council proposed to increase the current limit of 17 Villages within the municipality insert is outlined. Village Arkandi and Village Kolhai whose total area 663.592 hectare and 726.394 hectare total 1389.986 hectare is whole area of Arkandi Village Panchayat. Out of which as per department's Notification dated 24.05.1999, The Madhya Pradesh Maa Maihar Sharda Devi Mela Adhiniyam, 1998 (No. 15 of 1998) and the Madhya Pradesh Maa Sharada Devi Mandir Adhiniyam, 2002 (No. 5 of 2003) area of Kolhai 48.643 hectare and Arkandi 264.029 hectare total 312.672 hectare are notified as property of Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar and it will be governed, possessed and managed by Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar.

As per above shown part of area of Arkandi village panchayat 312.672 hectare which is under governance, possession and under management of Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar shall be also submerged with territorial limits of Municipal Council, Maihar under condition as in this area governance and management shall be done by Maa Sharda Prabandh Samiti, Maihar. For this area rules and provisions of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) will be null and void. This area shall be only governed and managed as per Maa Sharda Devi Act and may not be interfere about this area. Any activity and other development. If any, in necessary condition, Municipal Council, Maihar shall take prior permission/approval by Maa Sharda Prabandh Samiti Maihar. The Maa Sharda Prabandh Samiti shall be free for taking any decision about any development and other activities. Decision taken by the Samiti shall not be affected by the Municipalities Act.

As above village and area shown in total number of 17 Village with area 4489.021 hectare, area of existing. Municipal 501.002 hectare and area of Ghurpura Village 104.694 hectare shall be in territory limit of Municipal Council, Maihar, District Satna. Total area of Municipal Council, Maihar, shall be 5094.717 hectare.

SCHEDULE-II

The revised boundary of the Municipal Council, Maihar, District Satna after including the area prescribed in Schedule-I above is as follows:—

- North—Whole territorial area of Village Manpur, Umari Paila, Baila Khas (Oila) including lilfi river situated at Baila Khas, Village.
- East— Whole territorial area of village Parsokha situated next to Eastern boundary of Village Baila Khas (Oila), Lakhanpur, Lakhwar, Amiliya and Girgita Village.
- **South**—Village Girgita which is situated South-North of whole territorial area of village Harnampur, Hardua Kala and Village Amada upto Amada Nala.
- West— Whole territorial area of Village Udaipur, Village Kolhai and Arkandi which is situated at South-West of Village Amada Nala upto West-North area of Village Manpur.
- 2. This Notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, K. K. KATIYA, Dy. Secy.